न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 23/2021
निर्णय दिनांक : 13.04.2022

उनवान

1. चिरंजीलाल पुत्र श्री जमनलालजी जाति आचारी ब्राहम्ण निवासी आचार्यो की ढाणी, खोनागोरियान तह0 सांगानेर जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. अरावली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय राजपूताना टावर 201 एल0बी0एस0 कॉलेज के सामने तिलक नगर जयपुर राज0।
2. जी0एल0प्रोपकान प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय 416 मंगला मार्ग ब्रहम्पुरी जयपुर राज0।
3. नाथूलाल पुत्र गोविन्दनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
5. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर पता–बिडला मन्दिर के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं उनके पूर्वज ग्राम खोनागोरियान पटवार हल्का खोनागोरियान तह0 सांगानेर उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 3770 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 3771 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 3772 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 3775 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3776 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 3777 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 3778 रकबा 0.14 है0,खसरा नम्बर 3779 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 3780 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर में हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार है।

उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर जाने के लिए प्रार्थी का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 304, 305 ग्राम भावगढ बन्ध्या पटवार हल्का खोनागोरियान तह0 सांगानेर उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर से होकर अप्रार्थीगण की भूमि के लगवा सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 177 में से होकर आरटीओ ऑफिस जगतपुरा से आगरा रोड की ओर जाने वाली रोड है लेकिन प्रार्थी को स्वयं की भूमि पर आने [illegible] लिये तथा अपनी भूमि को सरकारी रास्ते से जाडने के [illegible] 305 ग्राम भावगढ बन्ध्या पटवार हल्का खोनागोरियान में से 15 फीट का [illegible] रास्ता चाहिये तो सब खातेदार के तथा आगे गॉव वालो के आने जाने के काम आयेगा। जिसे [illegible] पीले रंग से दर्शाया गया है। उक्त चाहा गया रास्ता वर्षो से प्रार्थी के [illegible] रूप में काम आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है। इस कारण प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:47 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

पूरे गॉव वालो व प्रार्थी के आमागमन अपनी जमीन के उपयोग–उपभोग के लिए खसरा नम्बर 304, 305 ग्राम भावगढ बन्ध्या पटवार हल्का खोनागोरियान तह0 सांगानेर में से 15 फीट का नया रास्ता के बनने से प्रार्थी सुगमता से अपना उपयोग–उपभोग करे सकेंगे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.04.2021 को वकूलाय फरीकेन उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। दिनांक 10.09.2021 को पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र 251 ए का इस आशय का पेश किया कि मिन अप्रार्थी के खसरा नम्वर 304 व 305 ग्राम भावगढ बन्ध्या पटवार हल्का खोनागोरियान तह0 सांगानेर में कोई रास्ता रहा हो अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी की भूमि दूसरे गांव में स्थित है जिसमें कभी कोई रास्ता नही रहा है। जबकि प्रार्थी की भूमि ग्राम खोनागोरियान में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। जब प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम खो नागोरियान में रास्ता है तो प्रार्थी दूसरे गांव की भूमि में रास्ता लेने का अधिकारी नही है। प्रार्थी स्वयं के लिए रास्ता न लेकर पूरे गांव की आवादी के लिए मिन अप्रार्थी की भूमि में रास्ता लेना चाहता है। जो 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नही आता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे। इस संबन्ध में तहसीलदार सांगानेर से भी मौका रिपोर्ट तलब की गई।

हमने बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता नही है। अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिया जावें। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने जवाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि मिन अप्रार्थी की भूमि दूसरे गांव में स्थित है जिसमें कभी कोई रास्ता नही रहा है। जबकि प्रार्थी की भूमि ग्राम खोनागोरियान में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। जव प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम खो नागोरियान में रास्ता है तो प्रार्थी दूसरे गांव की भूमि में रास्ता लेने का अधिकारी नही है।

हमने बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित फर्द मौका रिपोर्ट 17.09.2021 का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम खो नागोरियान [illegible] खसरा नम्बरान् 3770, 3771, 3772, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780 में हिस्सा 1/3 की हिस्सेदारी प्रार्थी के नाम से अंकित है। जिसके [illegible] प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम भावगढ बन्ध्या पटवार हल्का खोनागोरियान तह0 सांगानेर के खसरा नम्बर 304 एवं 305 में से रास्ता चाहा है। उक्त चांहा गया रास्ता अलग–अलग ग्राम क्षेत्र में स्थित है तथा प्रार्थी के नाम खसरा नम्बरान् 3770, 3771, 3772, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780 में सहखातेदारी दर्ज है। जिसका राजस्व रिकार्ड अनुसार विभाजन नही हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा गुगल मैप से स्पष्ट जाहिर होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:47 IST
Reason: SelfAttested

कि खसरा नम्बर 3375 में से होकर सीधा रास्ता दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थी द्वारा सीधे रास्ते की मांग नही कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की दूसरे ग्राम में स्थित भूमि में से होकर लम्बा रास्ता चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा ग्राम खो–नागोरियान में स्थित अन्य भूमि में से रास्ता लिया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:05:47 IST
Reason: SelfAttested